महत्वपूर्ण एवं खास

7 मई मतदान समाप्ति तक जिले की मदिरा दुकानें बंद

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन-2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ), होटल बारों (एफ.एल.-3)तथा देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (दिनांक 5 मई 2024 को सायं 5.00 बजे)से लेकर 7 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त शुष्क अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

पोस्टल बैलेट सुविधा 6 मई तक रहेगी कार्यशील

फॉर्म 12 में आवेदन करने वाले अधिकारी-कर्मचारी जिन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया है वे 6 मई को सृजन सभाकक्ष में आकर मतदान कर सकेगें

रायगढ़। निर्वाचन ड्यूटी में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों के लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु पोस्टल बैलेट सुविधा केंद्र सृजन सभाकक्ष कलेक्ट्रेट परिसर रायगढ़ में बनाया गया है, जो दिनांक 6 मई 2024 तक कार्यशील रहेगा। इसके पश्चात पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना संभव नहीं होगा। पोस्टल बैलेट हेतु आवेदन करने वाले ऐसे मतदाता अपने मतदान केंद्र में भी मतदान नहीं कर पायेंगे। अत: सभी कार्यालय प्रमुख तथा नोडल अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि फॉर्म 12 में आवेदन करने वाले आपके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से 06 मई को सृजन सभाकक्ष स्थित सुविधा केंद्र में मतदान अवश्य करने हेतु कहें। कलेक्टर गोयल ने पोस्टल बैलेट हेतु आवेदन करने वाले ऐसे सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है।

कलेक्टर धर्मेश साहू ने जिले के मतदाताओं से की मतदान करने की अपील

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने वीडियो संदेश के माध्यम से सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सभी मतदाताओं से आगामी मंगलवार 7 मई को लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर वोटिंग करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ी में दिए अपने संदेश में उन्होंने सभी मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मतदाता बिना किसी दबाव या लालच के भयमुक्त होकर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए सभी अपने घरों से निकलें एवं अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।

कलेक्टर ने किया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

रायपुर (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव-2024 के परिपेक्ष्य में जिला प्रशासन रायपुर द्वारा एक दिवसीय अपना बूथ जानो अभियान चलाया गया। इसके तहत मतदाताओं ने अपने मतदान बूथ पहुंच कर विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह फॉरेस्ट कॉलोनी और बी.पी. पुजारी स्कूल मतदान केन्द्र पहुंचे और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही सभी विधानसभा के एआरओ भी अपने मतदान केन्द्र गए और आवश्यक जानकारी ली। इस बार मतदान केन्द्र में मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी, सभा, रैली से प्रचार-प्रसार पूर्णत: प्रतिबंधित

रायगढ़

लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्रए नारेबाजी या प्रचार प्रसार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लघन करने वाला व्यक्ति, दल, भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

उल्लेखनीय है की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा तिथि 16 मार्च 2024 से सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के परिपालन में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैंए, जो आगे भी आदर्श आचरण संहिता तक प्रभावशील रहेंगे।

07 मार्च 2024 को रायगढ़ जिले में मतदान प्रात: 07 बजे से अपरान्ह 06 बजे तक सम्पन्न होना है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानि दिनांक 05 मई 2024 अपरान्ह 06 बजे से मतदान दिवस तक सार्वजनिक सभा, रैली एवं रोड़ शो एवं लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। अत: उपरोक्त अवधि में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशिष्ट प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दण्डात्मक आदेश पारित किया है।

रायगढ़ जिले के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल, रायफल, रिवाल्वर, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छूरा, कुल्हाड़ी, बरछी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकर, सांग एवं बल्लम अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। बल्क एस.एम.एस.एवं फोन कॉल करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।

लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत जिले में मतदान हेतु नियत तिथि 7 मई 2024 को मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पहले एवं मतदान दिवस तक अर्थात 5 मई 2024 शाम 06 बजे से दिनांक 7 मई 2024 तक समूह में या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इक_ा होने आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

रायगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा, न ही कोई धरना देगा। प्रचार मतयाचना हेतु लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार की मतयाचना-प्रचार प्रतिबंधित रहेगी।

मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के भीतर मोबाईल/फोन ले जाना, उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज 5 मई 2024 अपरान्ह 06 बजे से निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है। अत: यह आदेश समयाभाव के कारण एकपक्षीय पारित किया गया है।

जानें अपना बूथ : रायगढ़ जिला प्रशासन की विशेष पहल

- **175 कम मतदान वाले केंद्रों के लिए चल रहा विशेष जागरूकता अभियान**
- **मतदान केंद्रों में छाया के लिए टेंट, पेयजल और ओआरएस की होगी व्यवस्था, मतदाताओं को दे रहे जानकारी**

रायगढ़

'जानें अपना बूथ' रायगढ़ जिला प्रशासन की खास पहल है। जो जिले के उन 175 मतदान केंद्रों के मतदाता जागरूकता के लिए विशेष रूप से तैयार कर चलाई जा रही है। जहां पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत औसत से कम रहा है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल की पहल पर यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। इन चिन्हित मतदान केंद्रों में बीएलओ के माध्यम से मतदाता पर्ची के वितरण के साथ मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र में आमंत्रित किया जा रहा है। उनके लिए पेंटिंग, रंगोली, क्विज प्रतियोगिता जैसी स्पर्धाएं आयोजित की जा रही है। मतदाताओं को बताया जा रहा है कि वे अपने मतदान केंद्र तक कैसे पहुंच सकते हैं। 07 मई को मतदान को मतदान दिवस के दिन मतदाताओं के लिए गर्मी को देखते हुए की जा रही व्यवस्थाओं जैसे छाया के लिए टेंट और पंडाल, पेयजल, ओआरएस और उपलब्धता अनुसार कूलर लगाने की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के कम मतदान प्रतिशत वाले केंद्रों में आयोजन किए जा रहे हैं। जिससे लोग मतदान के लिए जागरूक होते हुए अपने मताधिकार का उपयोग करें। जानें अपना बूथ कार्यक्रम में लोग भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। बूथ स्तर पर आयोजित स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। रंगोली के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। जानें अपना बूथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई जा रही है। रायगढ़ जिला प्रशासन की यह विशेष पहल मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व से जोडऩे में अहम भूमिका निभा रहा है।

मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान

- **रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 7 मई को**
- **सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का कर सकेंगे प्रयोग**

रायगढ़

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत तीसरे चरण में 7 मई 2024 को रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 के लिए मतदान होगा। सभी मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।

यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए है। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।

प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

6 मई को सुबह 6.30 बजे से शुरू होगा मतदान दलों को सामग्री वितरण

- **परिसर और पार्किंग में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए पार्किंग में लगाया गया पूरे परिसर का मैप**
- **केआईटी से रायगढ़, लैलूँगा और खरसिया विधानसभा क्षेत्रों के बंटेंगे सामग्री, धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र का डाइट धरमजयगढ़ से होगा सामग्री वितरण**
- **हर मतदान दल के लिए प्रदान की जा रही जरूरी दवाओं युक्त मेडिकल किट**

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में लोकसभा निर्वाचन हेतु आगामी 07 मई को होने वाले मतदान के लिए सामग्री वितरण के लिए केआईटी परिसर गढ़उमरिया में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दलों को सुबह 6.30 बजे से सामग्री वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिसमें जिले की तीन विधानसभा रायगढ़, लैलूंगा और खरसिया के लिए मतदान सामग्री का वितरण केआईटी कॉलेज परिसर से होगा। इसी प्रकार धरमजयगढ़ विधानसभा के 281 मतदान केंद्रों हेतु डाइट धरमजयगढ़ से सामग्री वितरित होगी। 07 मई को होने वाले मतदान के लिए 6 मई मतदान दलों को रवाना किया जाएगा।

कलेक्टर गोयल के सामग्री वितरण के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार विधानसभावार पोलिंग मटेरियल किट और ईवीएम वीवीपैट मशीन के वितरण की तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रत्येक विधानसभा के दलों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम से सामग्री निकालकर वितरण के लिए रूट निर्धारित किया गया है, जो कि सीसीटीवी की निगरानी में है। विधानसभावार मतदान दलों को सामग्री प्रदान करने हेतु अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। जिस पर काउंटर वार मतदान केंद्रों की जानकारी फ्लेक्स से प्रदर्शित की गई है। ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर परिसर में पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखे लगाए गए है। वही मतदान दलों की सुविधा हेतु अनाउंसमेंट की व्यवस्था के साथ ही कर्मचारियों के लिए पेयजल और ओआरएस की व्यवस्था हर विधानसभा के लिए बने काउंटर में पृथक से किया गया है।

55 काउंटर से बटेंगे तीन विधानसभाओं के सामग्री, धरमजयगढ़ विधानसभा का डाइट धरमजयगढ़ से होगा वितरित

केआईटी में तीन विधानसभाओं के 804 मतदान केंद्रों के लिए सामग्री वितरित किए जायेंगे। जिसमें रायगढ़ के 233 केंद्र के लिए 16 काउंटर बनाए गए हैं। लैलूंगा के 282 केंद्रों के लिए 19 काउंटर और खरसिया के 289 मतदान केंद्रों के लिए 20 काउंटर बनाए गए हैं। धरमजयगढ़ विधानसभा के लिए सामग्री डाइट, धरमजयगढ़ से वितरित की जायेगी। वहां के 281 मतदान केंद्रों के सामग्री वितरण के लिए 17 काउंटर बनाए गए हैं।

मतदान दलों के सुगम रवानगी हेतु सुव्यवस्थित पार्किग व्यवस्था- सामग्री वितरण पश्चात मतदान दलों के रवानगी एवं वापसी के दौरान होने वाले जाम की स्थिति को देखते हुए विधानसभावार सुव्यवस्थित पार्किग व्यवस्था की गई है। जिसमें विधानसभा वार वाहनों में बस और टू व्हीलर पार्किंग अलग-अलग स्थान पर व्यवस्थित किया गया हैं। जिससे सामग्री लेकर मतदान दल आसानी से निकल सकेंगे। इसके साथ ही सामग्री वितरण के दौरान होने वाले असुविधा के लिए सामग्री वितरण मैप चस्पा किया गया हैं।

मेडिकल हेल्प सेंटर की गई स्थापनाए दवाईयों का पर्याप्त स्टॉक - कलेक्टर गोयल के निर्देश पर परिसर में मेडिकल हेल्प सेंटर की स्थापना के साथ ही जरूरी दवाइओं का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। साथ ही परिसर में आपात कालीन स्थिति के लिए एंबुलेंस भी तैनात की गई हैं। सभी मतदान दलों के लिए मेडिकल किट अनिवार्य रूप से दिया जा रहा है। वही खाद्य विभाग द्वारा मतदान दलों के लिए सशुल्क नाश्ते व भोजन की व्यवस्था की गई है। वही नगर निगम द्वारा परिसर में पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था की गई है।

पुलिस ने होटल, ढाबा, लॉज व धर्मशाला चेक कर ली मुसाफिरों की जानकारी

- **संचालकों को बाहरी व्यक्तियों को ठहरने नहीं देने की दी गई हिदायत**

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर आज शाम सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीमों ने होटल, ढाबा, लाज और धर्मशाला चेक कर मुसाफिरों की जानकारी ली गई। पुलिसकर्मियों ने आगंतुक रजिस्टर चेक कर लोकसभा क्षेत्र के बाहर के रहवासियों को तत्काल क्षेत्र छोड़कर जाने की हिदायत दिया गया तथा संचालकों को चुनाव के परिपेक्ष्य में बाहरी व्यक्तियों को ठहरने नहीं देने की सख्त हिदायत दिया गया है। लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत जिले में 07 मई को मतदान होना है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने पुलिस एहतियातन सभी सुरक्षा प्रबंध बिंदुओं पर जांच और कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में आज मुसाफिरों की जांच कार्यवाही किया गया।

लोकसभा निर्वाचन-2024... जिले में बनाए गए हैं संगवारी, दिव्यांग एवं युवा मतदान केन्द्र

रायगढ़

लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान मतदाताओं को प्रेरित करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में संगवारी, दिव्यांग एवं युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके तहत जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में 10-10 संगवारी मतदान केन्द्र, 1-1 दिव्यांग मतदान केंद्र और 1-1 युवा मतदान केंद्र केंद्र बनाए गए हैं।

विधानसभावार बनाए गए 10-10 संगवारी मतदान केन्द्र- अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि विधानसभा जहां 10-10 संगवारी मतदान केन्द्र बनाए गए है। इनमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा अंतर्गत मतदान केन्द्र क्रमांक 53-लैलूंगा-2, मतदान केन्द्र भवन स्वामी आत्मानंद शा.अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लैलूंगा क.नं.1, मतदान केन्द्र क्रमांक 60 पाकरगांव, मतदान केन्द्र का नाम प्रा.शा.पाकरगांव, मतदान केन्द्र क्रमांक 106 केराबहार प्रा.शा.केराबहार, मतदान केन्द्र क्रमांक 199 गौरमुड़ी प्रा.शा.गौरमुड़ी, मतदान केन्द्र क्रमांक 234 गेरवानी-2 मा.शा. गेरवानी, मतदान केन्द्र क्रमांक 241 खैरपुर-1 प्रा.शा.खैरपुर, मतदान केन्द्र क्रमांक 254 गोरखा-1 प्रा.शा.गोरखा, मतदान केन्द्र क्रमांक 259 उर्दना-1 प्रा.शा.उर्दना, मतदान केन्द्र क्रमांक 265 विजयपुर-1 प्रा.शा.विजयपुर कमरा नंबर 1 एवं मतदान केन्द्र क्रमांक 266 विजयपुर-2 प्रा.शा.विजयपुर कमरा नंबर 2 शामिल है।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16-रायगढ़ में मतदान केन्द्र क्रमांक 41 रायगढ़ शहर में बाल मंदिर कमरा नंबर 4, मतदान केन्द्र क्रमांक 63 रायगढ़ शहर बाल मंदिर कमरा नंबर 1, मतदान केन्द्र क्रमांक 64 रायगढ़ शहर बाल मंदिर कमरा नंबर 2, मतदान केन्द्र क्रमांक 65 रायगढ़ शहर बाल मंदिर कमरा नंबर 3, मतदान केन्द्र क्रमांक 75 रायगढ़ शहर आयुर्वेदिक कार्यालय कमरा नंबर 4, मतदान केन्द्र क्रमांक 76 रायगढ़ शहर आयुर्वेदिक कार्यालय कमरा नंबर 3, मतदान केन्द्र क्रमांक 81 रायगढ़ शहर आयुर्वेदिक कार्यालय कमरा नंबर 1, मतदान केन्द्र क्रमांक 110 रायगढ़ शहर आयुर्वेदिक कार्यालय कमरा नंबर 2, मतदान केन्द्र क्रमांक 111 रायगढ़ शहर जिला पंचायत कार्यालय के सामने, जतन केन्द्र भवन कमरा नंबर 3 एवं मतदान केन्द्र क्रमांक 113 रायगढ़ शहर जिला पंचायत कार्यालय के सामने, जतन केन्द्र भवन कमरा नंबर 2 शामिल है।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18 खरसिया में मतदान केन्द्र क्रमांक 39 चोढ़ा प्रा.शा.चोढ़ा, मतदान केन्द्र क्रमांक 40 बासमुड़ा प्रा.शा.बासमुड़ा, मतदान केन्द्र क्रमांक 79 खरसिया शहर आदिवासी छात्रावास कंकूबाई धर्मशाला खरसिया, मतदान केन्द्र क्रमांक 80 खरसिया शहर आदिवासी छात्रावास कंकूबाई धर्मशाला खरसिया, मतदान केन्द्र क्रमांक 83 खरसिया शहर स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खरसिया, मतदान केन्द्र क्रमांक 86 खरसिया नगर पालिका बाल मंदिर खरसिया, मतदान केन्द्र क्रमांक 87 खरसिया शहर नगर पालिका कन्या हाईस्कूल खरसिया, मतदान केन्द्र क्रमांक 88 खरसिया शहर नगर पालिका कन्या हाईस्कूल खरसिया, मतदान केन्द्र क्रमांक 89 खरसिया शहर नगर पालिका कन्या हाईस्कूल खरसिया एवं मतदान केन्द्र क्रमांक 93 खरसिया शहर नवीन प्रा.शा.खरसिया शामिल है।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 धरमजयगढ़ में मतदान केन्द्र क्रमांक 96 धरमजयगढ़-2 प्रा.शा.शाहपुर कालोनी, मतदान केन्द्र क्रमांक 97 धरमजयगढ़-3 अभ्यास पूर्व मा.शा.डाईट धरमजयगढ़, मतदान केन्द्र क्रमांक 98 धरमजयगढ़-4 बीटीआई धरमजयगढ़, मतदान केन्द्र क्रमांक 102 धरमजयगढ़-8 प्रा.शा.कोदवारीपारा, मतदान केन्द्र क्रमांक 103 धरमजयगढ़-9 प्रा.शा.चिकटवानी, मतदान केन्द्र क्रमांक 104 धरमजयगढ़ 10-प्रा.शा.नार्मल स्कूल उ.क्र.1 धरमजयगढ़, मतदान केन्द्र क्रमांक 105 धरमजयगढ़-11 प्रा.शा. नार्मल स्कूल उ.क्र.-2 धरमजयगढ़, मतदान केन्द्र क्रमांक 106 धरमजयगढ़-12 शा.आईटीआई बेहरापारा धरमजयगढ़, मतदान केन्द्र क्रमांक 107 धरमजयगढ़-13 प्रा.शा.नरईटिकरा एवं मतदान केन्द्र क्रमांक 108 धरमजयगढ़-14 के प्रा.शा.तेन्दूमार के मतदान केन्द्र भवन को संगवारी मतदान केन्द्र बनाया गया है।

विधानसभावार बनाए गए 1-1 दिव्यांग मतदान केन्द्र- विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा के मतदान केन्द्र क्रमांक 184-देवगढ़-1 मतदान केन्द्र भवन प्रा.शा.देवगढ़ को दिव्यांग मतदान केन्द्र बनाया गया है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16-रायगढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 112-रायगढ़ शहर के मतदान केन्द्र भवन जिला पंचायत कार्यालय के सामने, जतन केन्द्र भवन कमरा नंबर 1 को दिव्यांग मतदान केन्द्र बनाया गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18-खरसिया के मतदान केन्द्र क्रमांक 53-फुलबंधिया, मतदान केन्द्र भवन प्रा.शा.फुलबंधिया को दिव्यांग मतदान केन्द्र बनाया गया है तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19-धरमजयगढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 100- धरमजयगढ़-6 मतदान केन्द्र भवन कन्या मा.शा.धरमजयगढ़ को दिव्यांग मतदान केन्द्र बनाया गया है।

विधानसभावार बनाए गए 1-1 युवा मतदान केन्द्र- विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा के मतदान केन्द्र क्रमांक 108-झगरपुर मतदान केन्द्र भवन प्रा.शा.झगरपुर कमरा नंबर 1 को युवा मतदान केन्द्र बनाया गया है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16-रायगढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 158-गढ़उमरिया के मतदान केन्द्र भवन प्रा.शा.गढ़उमरिया कमरा नंबर 1 को युवा मतदान केन्द्र बनाया गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18-खरसिया के मतदान केन्द्र क्रमांक 102 मदनपुर मतदान केन्द्र भवन माध्यमिक शाला मदनपुर तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 धरमजयगढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 95 धरमजयगढ़ मतदान केन्द्र भवन प्रा.शा.धरमजयगढ़ कालोनी को युवा मतदान केन्द्र बनाया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480